म.प्र. के खरगोन जिले के आदिवासीः एक विस्तृत अध्ययन

डॉ.दीपिका सेठे सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान)
स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
मो.8319320931 / 9753981082 Email Id- deepikasethe1984@gmail.com

सारांश

भारत एक विशाल देश हैं, जो विविधता में एकता का आभास देता हैं भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियों का समावेश हैं। यहाँ सभी प्रकार के धर्म जातियाँ–जनजातियाँ, संस्कृति व सभ्यता का समावेश हैं। इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि इसमें प्रत्येक प्रजातियों के अपने दार्शनिक मूल्य हैं, जिन्होंने प्रारम्भ से ही मानव मस्तिष्क और मानव विचारधारा को प्रभावित किया हैं। पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में आदिवासियों में विशेषकर भील, भिलाला एवं बारेला जनजातियाँ पायी जाती हैं। चिर परिचित ग्रामीण व नगरीय समुदाय की अपेक्षा एक ऐसा समुदाय भी है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण दोनों समुदायों से पर्याप्त भिन्नता रखता है, इसे आदिम जनजातीय या आदिवासी कहा जाता हैं। सभ्य समाज से दूर जंगलों में रहने के कारण समुदाय खाद्य संकलन, आखेट, पशुपालन या अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता है। इनका एकांकी जीवन विकसित वैज्ञानिक युग में भी रूढ़ियों, परम्पराओं व अन्य विश्वासों से भरा हैं।

मुख्य शब्द – भील, भिलाला, बारेला, आदिवासी, जनजातियाँ आदि।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में जातियों का निर्धारण बल, गौत्र, क्षेत्र, धर्म रीति–रिवाजो, खानपान और व्यवस्था पर आधारित होने लगा । आज के समय में अनेक जातियाँ हैं। सामान्यतः धीरे धीरे इन जातियों को कर्मों के आधार पर निर्धारण होने लगा, विभिन्न परिस्थितियों तथा व्यवसाय के आधार पर मूल रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में स्थापित हुए। प्रत्येक जाति की कुछ उपजातियों और अनेक शाखाए बन गई। प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी किशोरो को शामिल किया गया। आदिवासी समाज को वंचित के नाम से भी जाना जाता हैं, हालांकि आदिवासी समाज का इतिहास बताता हैं कि इनका सम्बन्ध उच्च जातीओ विशेषकर क्षत्रियों से हैं। यह जंगलो में निवास और दूरस्थ क्षेत्रों में निवास के कारण देश की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। दूरस्थ निवास के कारण अनेक अभावो से ग्रस्त हैं। भौतिक सुख–सुविधायें इनके पास न के बराबर हैं। इन परिस्थितियों में ऐसे किशोरों की मनःस्थिति किस प्रकार रहती हैं एवं इस बात का परिवार कितना निर्धारण करता हैं यह विचारणीय हैं। शोध पत्र का विषय, आदिवासी समाज पर विस्तृत रूप से इस शोध में लिखा गया हैं। अध्ययन में आदिवासी समाज में उन सभी वर्गों एवं जातियों को शामिल किया गया हैं, जो आदिवासियों की किसी भी श्रेणी के हैं।

प्रत्ययों का स्पष्टीकरण

आदिवासी

सामान्यतः 'आदिवासी' (एबोरिजनल) शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना सम्बन्ध रहा हो, परन्तु संसार के विभिन्न भू–भागों में जहाँ अलग–अलग धाराओं में अलग–अलग क्षेत्रों से आकर बसे हो, उस विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ इंडियन अमरीका के आदिवासी कहे जाते हैं और

प्राचीन साहित्य में दस्यु, निषाद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रजातियों समूहों का उल्लेख किया गया है, उनके वंशज समसामयिक भारत में आदिवासी माने जाते हैं। आदिवासी के समानार्थी शब्दों में ऐबोरिजनल इंडिजिनस देशज, मूलनिवासी, जनजाति, वनवासी, जंगली, गिरिजन, बरर आदि प्रचलित है। इनमें से हर एक शब्द के पीछे सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ हैं।

भारत के आदिवासी भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में कुल आबादी 1,21,05,69,573 का 8.6 प्रतिशत जनजाति है, जिनकी जनसंख्या 10,42,81,034 है। मध्यप्रदेश में कुल आबादी 7.26,26,809 है, जिसका 21.08 प्रतिशत जनजाति है, जिनको जनसंख्या 1,53,16,784 है।जनजातीय जनसंख्या के आधार पर मध्यप्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जनातियाँ विकास की मुख्य धारा से परे भिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में निवास करते है। भारत सरकार ने निम्न विकासदर, निम्न प्रौद्योगिकी एवं कृषि स्तर एवं साक्षरता के अत्यंत निम्न स्तर के आधार पर आदिम जनजातियों के रूप में कुल 74 ऐसे जनजातीय समूहों की पहचान की हैं, जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु मजबूत विशेषताओंके साथ विभिन्न विशेष कार्यक्रम और संवैधानिक प्रावधानोंकी व्यवस्था की गई है।

उत्तरपूर्वीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय अंचल के अतिरिक्त तिस्ता उपत्यका और ब्रह्मपुत्र की यमुना–पद्मा शाखा के पूर्वी भाग का पहाड़ी प्रदेश आता हैं। इस भाग के आदिवासी समूहों में गुरूंग, लिंबू, लेपचा, आका, डाफला, अबोर, मिरी, मिशमी, सिंगपी, मिकिर, राम, कवारी, गारो, खासी, नाग, कुकी, लुशाई, चकमा आदि उल्लेखनीय हैं। मध्यक्षेत्र का विस्तार उत्तर–प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी ओर राजमहल पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण की गोदावरी नदी तक हैं। संथाल, मुंडा, माहली, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोर, जुआंग, खोंड, सवरा, गोंड, भील, बैगा, कोरकू, कमार आदि इस भाग के प्रमुख आदिवासी हैं।

पश्चिमो क्षेत्र में भील, मीणा, ठाकर, कटकरी आदि आदिवासी निवास करते हैं। मध्य पश्चिम राजस्थान से होकर दक्षिण में सह्याद्रि तक का पश्चिमी प्रदेश इस क्षेत्र में आता हैं। गोदावरी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार हैं। इस भाग में जो आदिवासी समूह रहते हैं उनमें चेंचू, कोंडा, रेड्डी, राजगोंड, कोया, कोलाम, कोटा, कुरूंबा, बडागा, टोडा, काडर, मलायन, मुशुवन, उराली, कनिक्कर आदि उल्लेखनीय हैं।

जनजातीय परिवार भारतवर्ष में जनजातियों में परिवार के लगभग सभी प्रकार पाये जाते हैं। परिवार के सदस्य आपसी सहयोग एवं कार्य विभाजन के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सभी जनजातियों में परिवार एक इकाई के रूप में कार्य करता है। कार्य विभाजन के साथ–साथ जनजातीय परिवार का एक प्रमुख लक्ष्य यौन सम्बन्धों का एक उचित एव नियमित व्यवस्था करना हैं। अनेक भारतीय जनजातियों में युवागृह की संख्या पाई जाती हैं जो बच्चो को जनजातीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के साथ–साथ यौन शिक्षा भी देती हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जनजातियाँ

सम्पूर्ण मानव समाज के विकास क्रम में समाज को विद्वानों ने अलग–अलग नामों से विवेचित किया हैं। आदिम जाति, जनजाति समाज, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदिम समाज सामाजिक व्यवस्था की सबसे आरम्भिक अवस्था कहलाती हैं। सामाजिक व्यवस्था में धीरे–धीरे विकास होता गया और मानव आदिम अवस्था से विकास की ओर अग्रसर होते होते वर्तमान अवस्था में पहुँच गया, लेकिन समाज की इस धारा से कुछ समाज बहुत पीछे रह गये, जो आज भी आरम्भिक अवस्था मे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें जनजाति समाज के नाम से जाना जाता है। जनजाति मानव समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन आदिवासी समुदायों को जनजाति कहा जाता है जो सांस्कृष्टिकोण से समाज की तुलना में अत्यंत पिछडे हुए हैं।

''यह एक सामाजिक समूह हैं, जिनकी एक अलग भाषा होती हैं तथा संस्कृति एवं एक अलग संगठन होता हैं'' (मडाक, 1957)। मानवसमाज का एक विशिष्ट प्रवर्ग जनजाति हैं 'आदिवासी' 'वनवासी' आदिमजाति आदि जनजाति के पर्यायवाची शब्द हैं। उन्हें देशज समाज भी कहा जाता हैं। मानव विज्ञान के आरम्भ से ही मानववेक्ताओं का झुकाव आदिमजाति समाज की ओर रहा हैं। जनजातियाँ, आदिम समाज का सटीक उदाहरण मानी जाती हैं। ''जनजाति वह समुदाय हैं, जिसके सदस्य विशिष्ट भाषा बोलते हैं विशेष संस्कृति के पोषक हो तथा अपने को अन्य समुदाय से पृथक मानते हो '' (एफमन्सहबिल) ।

अनुसूचित जनजातियाँ –

अनुसूचित शब्द अंग्रेजी के Shadule शब्द का हिन्दी रूपान्तरण हैं, जिसका अर्थ सूची होता हैं अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से हैं। 1950 में अनुसूचित जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुसार (आधार पर) सूचीबद्ध करने के कारण ही इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। 1950 में भारतीय समाज की 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया हैं।

पश्चिम निमाड (खरगोन) जिले की जनजातियों का सामाजिक वर्गीकरण–

पश्चिम निमाड़ (खरगोन) जिले को तीन प्रमुख जनजातियाँ हैं– भील, भीलाला और बारेला। इन जनजातियों की उपजातियाँ हैं, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इन उपजातियों का वर्गीकरण हैं जनसंख्या की दृष्टि से इन तीनो जनजातियाँ में सबसे अधिक भीलाला जनजाति के लोग हैं दूसरे स्थान पर बारेला व तीसरे पर भील जनजाति के लोग हैं यद्यपि झिरन्या, भीकनगांव, बड़वाह, कसरावद तहसीलो में भील जनजाति रहती हैं जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी 'टन्ट्या' मामा की जाति के लोग हैं। यह भीकनगांव एवं झिरन्या तहसील से बाहुल्य हैं, जिनकी बड़ी संख्या पोई, सेलदा, कोठडा, ललनी, सगुर, ओमकारेश्वर, बिरूल, सुन्दैल, भीकनगांव, शकरखेडी, साईखेडा, के आस–पास रहती हैं।

पश्चिम निमाड़ (खरगोन) वर्गीकरण निम्नानुसार हैं –

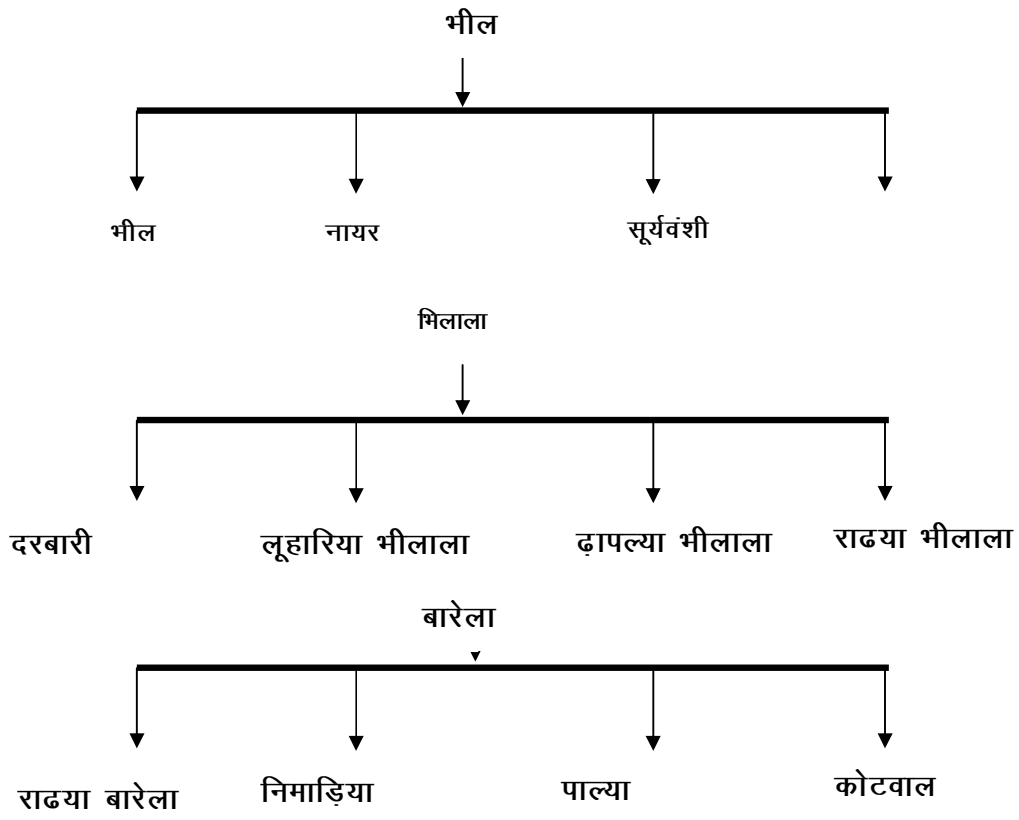

भारत सरकार ने मध्यप्रदेश की क्षेत्र समूह को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समूह के रूप में मान्यता दी है, वे निम्नानुसार हैं–छिन्दवाड़ा जिले में पातालकोट के भारिया, मण्डला जिले के बैगाचक क्षेत्र के बैगा, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के सहरिया ।

खरगोन जिले के आदिवासियो का क्षेत्रानुसार परिचय –

भील –

जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, परन्तु यह आवश्यक रूप से कहा जा सकता हैं कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं एवं प्राचीन समय से ही निर्जन बस्ती व दूरस्थ स्थानों में निवास करते आ रहे हैं। जनजाति में भील का एक समानार्थी पावली (पाडल्या) शब्द हैं जो पाल(भील संस्कृति पल्लो पल्ली) से उद्भव हैं। राजस्थान में भी बस्तियो के लिए आमतौर पर पाल शब्द का उपयोग किया जाता हैं जैसे– वारपाल, भीला, निषाद माधव मूल के माने जाते हैं ठीक इसी प्रकार भीलाले राजपूत मूल के हैं। ये अपनी मूल स्थली चित्तौड़ ही मानते है। इनका मत हैं कि संकटकाल तथा राजनीतिक उथल–पुथल के कारण मध्यभारत (म.प्र.) में आकर बस गये थे। इसलिये आज भो इनके श्भाटश चित्तौड से ही उनकी कुण्डली एवं इतिहास बताने आते हैं इनका मुख्य निवास उदयगढ़ भाभरा विकासखण्डों में हैं। भील जनजातियों के लोग अत्यन्त गरीब एवं भाले, कृषि मजदूरी तथा मजदूरी हेत जिले के बाहर पलायन करने वाले होते हैं। भील शरीर पर एक तरह की लंगोटी जैसा कपड़ा लपेटे रहते हैं और धनुष बाण तथा कुल्हाड़ो का उपयोग करते हैं। खान–पान में मोटे अनाज का सेवन करते हैं। यह अधिकांश लोग मांसाहारी होते है, मद्यपान में ताडी– शराब का अधिक उपयोग करते है। इनके मुख्य त्यौहार जैसे दीपावली, भगोरिया, होली, दिवासा आदि पर नशा करते हैं। मांदल की धुन पर नाच उठते हैं, इस तरह से अपना सरल परिचय देते हैं। भिलाला भिलाला जिले के आदिवासी का एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं। इनको – स्थानीय स्तर पर उज्ले भील कहा जाता है। भिलाला मुख्य रूप से जोबट, सोण्डवा, अलिराजपुर, उदयगढ़ विकासखण्डो में निवासरत हैं। भिलाला वर्ग साधारणतः कृषक एवं मजदूरी करते हैं, किन्तु वर्तमान में यह वर्ग शासकीय सेवा में भी आ गया हैं, जिसके कारण भील की तुलना में आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं।

पटेलिया पटेलिया मुख्य रूप से उदयगढ़ भाभरा विकासखण्डों में निवासरत हैं। भीलो तथा मिलाला से अपने को उच्च मानते है तथा भोजन एवं व्यवहारिक सम्बन्ध भी नही करते हैं। पटेलिया कृषि तथा मजदूरी करते हैं किन्तु उच्च जातियों के सम्पर्क में आने के कारण पटेलिया का रहन–सहन भील व भिलाली से अच्छा है। इस वर्ग के लोग शाकाहारी होते है और वह अपने आपको भगत बताते हैं और किसी भी त्यौहार या मांगलिक कार्यों में किसी प्रकार का नशा नही करते हैं। खुशी के पल या मांगलिक कार्यों में ढोलती पर रास खेलते हैं। पटेलिया पुरुष सिर पर पगड़ी, गमछा एवं धोती पहनते हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन

➢ **अहिरे डॉ. एस. आर. (2014)** ने बड़वानी जिले में खेतिहर आदिवासी श्रमिकों की स्थिति एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन में पाया कि बड़वानी जिले की खेतिहर श्रमिकों को शासकीय परियोजनाओं के संचालन से लाभ हुआ है। जिले में खेतिहर श्रमिकों की आय उपभोग, बचत–विनियोग एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। आदिवासी श्रमिकों द्वारा योजनाओं का लाभ होने से उनकी आय बढ़ी हैं। आय बढ़ने से बचत बढ़ी है। बचत के कारण इन्होंने अन्य व्यवसाय आरम्भ

किये है।

➢ **मण्डलोई डॉ. दिलीपसिंह (2014)** के द्वारा औद्योगीकरण का आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव में पाया कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य की तलाश में पलायन हुए आदिवासी परिवारों को उच्च वर्गों द्वारा इस ग्राम में रहने के लिए शरण देने के बाद पुरुषों के घरेलू नौकर उनकी पत्नियों व कृषि मजदूरी और उनके बीच ग्वाला का कार्य कम पारिश्रमिक देकर लिए जाते है। इसके अलावा ग्राम के अधिकता आदिवासी समुदाय खुद की भूमि पर कृषि कार्य करके जीविकोपार्जन करते है अर्थात् लगभग 75ः आदिवासी सदस्यों को ग्राम से बाहर मजदूरी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र 25ः सदस्या को खुली दैनिक मजदूरी घरेलू नौकर और चरवाह का कार्य करके आजीविका का निर्वाह करते है।

➢ **रावत रेखा (2012)** ने जनजातीय महिलाओं में नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन में पाया कि कृषि करने वाली महिलाओं की संख्या 17 व 34 प्रतिशत अध्याय द्वितीय साहित्य का पुनरावलोकन पाया गया जबकि बाजार में मजदूरी करने वाली महिलाओं की संख्या 10 20 प्रतिशत पाया गया बाजार में दूध बेचने वाली महिलाओं की संख्या 13 व 26 प्रतिशत पाया गया. नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 10 व 20 प्रतिशत पाया गया, जबकि घर का काम करने वाली जनजाति महिलाओं की संख्या 20 व 40 प्रतिशत देखा गया, नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 15 व 30 प्रतिशत पाया गया, आत्मनिर्भर संबंधी महिलाओं की संख्या 09 व 18 प्रतिशत पाया गया, बौद्धिक विकास संबंधी जानकारी की संख्या 06 व 12 प्रतिशत पाया गया।

➢ **बट्टी हेमंत कुमार (2012)** ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन में पाया कि इसमें अनुसूचित जनजातीय समुदाय की अपनी अहम भूमिका रही हैं। ग्रामीण एवं वनीय क्षेत्रों में अनिवार्य स्कूल शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा है, जिसके पीछे नक्सलवादी विचारधारा का प्रभाव है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातीय परिवार 78.02 प्रतिशत मजदूरी करता है। 3.29 प्रतिशत नौकरी पेशा तथा 2.19 प्रतिशत कृषि है। वनों के समीपस्थ ग्रामों में शिक्षा का अभाव है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पश्चात भी अनुसूचित जनजातीय परिवारों की सामाजिक परिस्थितिया पहले से बेहतर नहीं हुई है। शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाएँ जनजातीय क्षेत्रों में विफल रही है, कच्चे मकान, झोपड़ियाँ, असुविधायुक्त बसाहट, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव पुरानी परम्पराओं एवं रीति–रिवाज का प्रचलन अधिक है।

➢ **सोलंकी डॉ. अर्जुन झा सामना कुमारी (2012)** ने आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में मनरेगा के लाभार्थियों का अध्ययन इनके शोध पत्र में पाया कि मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में वित्तोय वर्ष 2011–12 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लाभार्थियों की संख्या को छोड़कर शेष पूर्व के तीन वित्तीय वर्षो अर्थात् 2008–09 से 2010–11 तक की समयावधि में इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड प्राप्त कर चुके परिवार, रोजगार की माँग कर चुके परिवार रोजगार उपलब्ध कराये जा चुके परिवार, 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवार भूमि सुधार इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके परिवार एवं विकलांग लाभार्थियों की संख्या में अपेक्षाकृत सराहनीय वृद्धि हुई है जो योजना के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है।

चौहान डॉ. राकेश कुमार, वासनिक प्रतिमा (2012) ने आदिवासियों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में) इनके शोध पत्र में पाया कि आदिवासियों की व्यावसायिक संरचना के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 78 प्रतिशत आदिवासी कृषि कार्य, लगभग 14 प्रतिशत मजदूरी लगभग 7 प्रतिशत विभिन्न व्यवसाय तथा मात्र 2 प्रतिशत आदिवासी नौकरी में संलग्न है मुजाल्दा (2002) ने भी अपने अध्ययन में सर्वाधिक जनजातियों की कृषि में संलग्नता का उल्लेख किया है।

➢ **आहुजा, राम (2008)** सामाजिक समस्याएँ अध्ययन में स्पष्ट किया कि आदिवासी में 90 प्रतिशत लोग खेती करते है, उनके अलाभकारी जमीनें होती है और पुराने तरीके अपनाये हुए है, जिससे उनकी पैदावार कम होती है। इस कारण से उनको जमींदारों, भू–स्वामियों, साहूकारों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रो में बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्तता तथा उनके ज्ञान न होने से आदिवासियों को मुख्यतः साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा जनजातीय विकास कार्यक्रमों ने भी आदिवासियों को आर्थिक स्तर उठाने में अधिक सहायता नहीं की हैं।

उपसंहार

खरगोन जिले के आदिवासीयों के विभन्न पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि यह जनजातियाँ जंगलो में रहने वाली और अपनी संस्कृति को धरोहर के रूप में संजोकर रखने वाली होती है। आदिवासी प्रायः अपने रिति रिवाजों और अपनी विशेष पोशाको एवं चाँदी के आभुषणों से पहचानी जाती है। अध्ययन में हमने पाया कि खरगोन जिले के आदिवासी फिर चाहे वह भील,भीलाला या बारेला हो सभी में एक विशेष प्रकार का सोम्य एवं सरल स्वभाव देखने को मिला खाने पिने के शौकीन ये अदिवासी प्रकृति प्रेमी एवं जय जौहार के नारे लगाते दिखाई दिये। अध्ययन में हमने पाया कि जहाँ एक ओर तो यह जनजातियाँ अत्यन्त पिछड़ी हुई है वही दुसरी ओर वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की वजह से इनमें भी तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिल रहे है। आदिवासीयों कि नई पिढियों का रूझान अपनी संस्कृतियों से दूर होता जा रहा है।वर्तमान में हम देखे तो पायेगे कि आज का अदिवासी केवल जंगलो पर नही निर्भर रह गया है, अपितु तकनिकी के नये नये उपकरणों के उपयोग से अपनी जीवन शैली में नित नये परिवर्तन ला रहा है।खरगोन जिले के आदिवासी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सभी क्षेत्रोमें उन्नती करते जा रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

Bajpai, S. (1998), Self concept of tribal adolescents, Indian journals of psychometry and education. vol. 29(2) : P. No. 101-106.

Jain, S. (1998), Social Competence among tribal and non tribal putrils.psycho-Lingua. Vol. 28(2): P.No. 131-134

Jairath, M.S. (1991), Tribal Economy & Society, Mittal Publication, New Delhi.

Kothari K.L. (1985), Tribal Social Change in India, Himanshu Publication,Delhi, P. 109

Raizada, A. (1984), Tribal Development of Madhya Pradesh – A Planning perspective, Inter-India Publications, New Delhi, p. 109.

Russel, R.V. and Hiralal (1995), Tribal and Castes of the Central Province of India. Delhi: Cosmo Publication, Vol: IV P.No. 299.

Scheduled Castes & Scheduled Tribe Welfare Department, Govt.Of Madhya Pradesh (2011).

Vidhyarthi, L.P. (1974), Tribal Development in Independent India & its future man of India, Vol. 54, No. 1 Jan-Mar, pp. 45-72.

अहिरे डॉ. एस. आर. (2014) ने बड़वानी जिले में खेतिहर आदिवासी श्रमिकों की स्थिति

मण्डलोई डॉ. दिलीपसिंह (2014) के द्वारा औद्योगीकरण का आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव

रावत रेखा (2012) ने जनजातीय महिलाओं में नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन

बट्टी हेमंत कुमार (2012) ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन

सोलंकी डॉ. अर्जुन झा सामना कुमारी (2012) आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में मनरेगा के लाभार्थियों का अध्ययन

आर्य राजाराम (2011), खरगोन जिले के आदिवासी, उपजातियोंकी सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तित प्रक्रियाका विश्लेषण

बघेल प्रमिला (2009), आदिवासी बाहुल्य के ग्रामीण सेवाकेन्द्रों का स्थानिक विकास, प्रतिरुप एवं पदानुक्रम खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में

चौहान राकेश कुमार (2008). आदिवासियों की व्यावसायिक संरचना एवं आय

देसाई, ए. आर. (1961), रुरल सोश्योलॉजी इन इंडिया, पापुलर प्रकाशन बाम्बे

देसाई डी. आर. (1999), भारतीय ग्रामीण समाज–शास्त्र प्रकाशन, नई दिल्ली

साबू दीपक (2012), खरगोन जिले के जनजातीय परिवारों का स्व सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक विकास एक अध्ययन

सिंगोरिया अनुराधा (2011). बरेला जनजाति पर आधुनिकीकरण का प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) सिंह राम गोपाल, भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उनका समाधान

श्री दुबे बी.के., ए स्टडी ऑफ ट्रायबल पीपुल एंड ट्रायबल एरियाज ऑफ एम.पी.

यादुबेन्दु रामनारायण (1940), भारत का दलित समाज, पृ.सं. 20–22

http://www.connecticutsecretary.com/?p=46

http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-1103-graber.html

http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-1103-graber.html

http://www.ncbi.n/m.nih.gov/pmc/artical/pm

http://www.copntent.healthaffairs.org.in/